

ORDER SHEET

COURT

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 30/2020

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गो.प्र.प. वि० प्रकाश

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
आरक्षी केन्द्र गो.प्र.प. की ओर से आरक्षक शा.प्र. कमांक 403 द्वारा अपराध क्रमांक 10/2020 में आरोपी/गण प्रकाश पिता धनपाल केवर गो.प्र.प. के विरुद्ध धारा-4(क) सट्टा अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोग पत्र का परिशीलन किया गया। प्रकरण विधिवत आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किये जाने हेतु केन्द्रिय पंजीयन कक्ष में भेजा जावे। धारा-4(क) सट्टा अधिनियम के अपराध के लिये विशिष्टियाँ सुनाये जाने पर आरोपी/गण ने स्वेच्छया से उपरोक्त अपराध करना स्वीकार किया। स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय घोषित कर आरोपी को धारा-4(क) सट्टा अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय में उठने तक की सजा एवं रुपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 08 दिन/माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा कर दी गई जो चालान क्रमांक 007014106 तथा केयोस्क क्रमांक MPT007028012020000077 पर जमा की गई है। प्रकरण पंजी से कम होकर अभिलेखागार में जमा किया जाये। (दिनेश मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)	Signature of Parties or Pleaders where necessary दिनेश मीणा